

न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

कमांक 2 /व्य.न्या./2017

पण्डरिया, दिनांक 14.11.2017

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
कबीरधाम (कवर्धा) छत्तीसगढ़

विषय :- विशेष सूची प्रकरणों की प्रगति प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- कार्यालय पृष्ठांकन कमांक 1560/एक-1-2/2008 कबीरधाम, दिनांक 14.11.2017

माननीय महोदय,

निवेदन है, विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेश के पालन में वांछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में निम्नानुसार है -

- प्रपत्र -

सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये गये वाद

प्रगति की स्थिति

क.	व्य.वा.क.	नाम पक्षकार	अधिवक्तागण	संस्थित तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
01.	15अ/09	श्रवण - चैतराम वगै.	श्री एन.आर. गुप्ता श्री जे.पी. तिवारी	16.06.2009	15.11.2017	अंतरिम आवेदन आई.ए.नं. 02 से 06 पर तर्क सुनें, आदेश पारित कर प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किये, प्रतिवादी की ओर से पुनः परीक्षण किये जानें की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये, प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किये गये, वादी अधिवक्ता द्वारा पुनः आवेदन प्रदर्श अंकन के सम्बन्ध में पेश किये, तर्क सुने गये। आपत्ति पर आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पेश आवेदन प्रस्तुत दस्तावेज पर प्रदर्श अंकन पर तर्क सुने गये, आदेश पारित की जाकर आवेदन स्वीकार किये गये, प्रतिवादी कमांक 01 एवं 03 को पुनः प्रतिपरीक्षण बाद उन्मुक्त किये गये। एक प्रतिवादी साक्षी उपस्थित, प्रतिपरीक्षण किया गया। आगामी तिथि को तीन प्रतिवादी साक्षी प्रतिपरीक्षित किये गये।
02.	05अ/11	रामदास - कुंजन वगै.	श्री अरुण दीवान श्री कौंति शर्मा श्री दीपक सोनी	08.03.2011 <small>(प्रकरण माननीय अपीलीय न्यायालय से पुनः वापसी दिनांक - 29.11. 2016)</small>	16.11.2017	आवेदन आदेश 09 नियम 07 व्य.प्र.सं. पर तर्क सुनें, एवं आवेदन आदेश पारित कर आवेदन स्वीकार की जाकर वादी का साक्ष्य लिया गया, शेष साक्ष्य प्रस्तुत करने समय चाहे। एक वादी साक्षी उपस्थित बाद प्रतिपरीक्षण पश्चात् शेष साक्ष्य हेतु समय चाहे।
03.	13अ/11	परदेशी - छबिल वगै.	श्री अरुण दीवान श्री घनश्याम चंद्रवंशी श्री एन.आर. गुप्ता	30.07.2011	14.11.2017	अंतरिम आवेदन आदेश 16 नियम 1,2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. पर तर्क सुनें, आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी साक्षियों का शपथ पत्रीय कथन पेश किये, वादी की ओर से आवेदन आदेश 47 नियम 01 व्य.प्र.सं. पेश किये, प्रतिवादी द्वारा जवाब हेतु समय चाहे।

नोट- सितम्बर माह इस न्यायालय द्वारा कोई विशेष सूची तैयार नहीं की गई, जिसके कारण जानकारी निरंक है।


(समीर कुंजूर)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
पण्डरिया जिला-कबीरधाम(छ.ग.)